भारतवर्ष में बाल श्रमिकों की स्थिति

Kumar Jee Choudhary
Assistant Professor,
Department of Commerce,
Nagendra Jha Mahila College, Laheriasarai

Abstract : एक सुसंस्कृत समाज का सर्वोपरि लक्ष्य होता है बच्चों को माकूल शिक्षा प्रदान करना। यह बच्चों का जन्मजात अधिकार है, अतः केन्द्रीय सरकार की अगुवाई में राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजनाओं के अन्तर्गत एक लाख से अधिक कार्यरत बच्चों को उनके अधिकारों को लौटाना अर्थात् शिक्षा प्रदान करने की क्रिया को स्तुल्य कहा जा सकता है। मगर भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिवेश को नजरअंदाज कर किसी भी समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता बल्कि ऐसी नजरंदाजी नई समस्याओं को जन्म दे सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा से तात्पर्य क्या है और तदनुरूप शिक्षा के आयाम क्या होंगे।

IndexTerms - मजदूरी, **बाल-श्रम,** मानसिक, उद्योग

Introduction

बाल मजदूरी निषेध और नियमन अधिनियम, 1986 के अनुसार एक बच्चे की परिभाषा है-" वह जो 14 वर्ष की उम्र से कम हो।" इस प्रकार किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक व शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं | चूंकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इतने बड़े नही होते कि भुगतान या मुनाफे के लिए लाभदायक आर्थिक गतिविधियों में लग सकें, इसलिए बाल श्रमिक 5-14 वर्ष आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

भारतवर्ष में बाल-श्रम की स्थिति :

भारतवर्ष में 1961, 1971 और 1981 की जनगणनाओं में कामकाजी बच्चों की संख्या क्रमशः 145 लाख, 107 लाख और 135.9 लाख थी। 1981 में बाल मजदूर कुल जनसंख्या के 1.98 प्रतिशत थे और कुल बाल जनसंख्या के 5.17 प्रतिशत थे। 1991 की जनगणना के अनुसार एवं 22 जुलाई, 1996 को राज्य सभा में केन्द्रीय श्रम मंत्री अरूणाचलम के द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर बाल श्रमिकों की संख्या 170.2 लाख आकलित की गई थी।

खतरनाक उद्योगों में बाल-श्रम की स्थिति पर नजर डालें तो 1961, 1971, 1981, 1991 एवं 2001 की जनगणना के अनुसार कुल बाल श्रमिकों में इनकी संख्या क्रमशः 3.08 लाख, 3.74 लाख, 6.71 लाख, 20 एवं 27 लाख थी।'

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 10-14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों की संख्या कम से कम 73 मिलियन (7.3 करोड़) है। इनमें लड़के व लड़कियाँ, दोनों शामिल है। 10-14 वर्ष की आयु वर्ग के विश्व के कुल 13 प्रतिशत बच्चे श्रमिक के रूप में जीवनयापन कर रहे है। जिन 73 मिलियन बाल श्रमिकों की बात आई० एल० ओ० रिपोर्ट में कही गई है, उनमें से दो-तिहाई बाल श्रमिक एशिया में व लगभग 24 मिलियन अफ्रीका में बताये गए हैं। यह समस्या केवल विकासशील राष्ट्रों में ही नहीं है, अमरीका, ब्रिटेन एवं दक्षिण यूरोपीय देशों में भी कुछ बाल श्रमिक है।

देश की जनगणना 2001 के अनुसार, भारत में कुल 2 करोड़ बाल श्रमिक है, परंतु सेन्टर फार कंसर्न ऑफ चाइल्ड लेबर के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 10 करोड़ है जबकि ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च ग्रुप बड़ौदा के अनुसार, देश में लगभग 4 करोड 40 लाख बाल श्रमिक है। चूंकि उपर्युक्त आँकड़े अनुमानित हैं परंतु फिर भी जिस देश में 25 से 30 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे हो अर्थात् 20-25 करोड़ व्यक्ति निर्धन हों, उनमें 6 करोड़ बाल श्रमिकों की संख्या आश्चर्यजनक नहीं है।

बाल-श्रम (उन्मूलन या नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिकों की श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है। जनगणना 1991 के अनुसार, 14 वर्ष तक के बच्चों की कुल संख्या 26 करोड़ हैं, जो कुल आबादी का 39 प्रतिशत है। श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक है तथा 5 से 14 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक चौथा बच्चा श्रमिक है | बाल श्रमिकों का विहंगम पक्ष उन व्यवसायों में देखा जा सकता है, जिनको उपुर्यक्त अधिनियम के अन्तर्गत बाल-श्रम हेतु प्रतिबंधित किया गया है। वे उद्योग निम्नलिखित है

दियासलाई/पटाखा उद्योग, कालीन उद्योग, सीमेंट निर्माण तथा भराई, वस्त्र छपाई, रंगाई तथा बुनाई, बीड़ी उद्योग, अभ्रक कटाई तथा विखण्डन, चमड़ा (वार्निशयुक्त) निर्माण, चमड़ा रंगाई, साबुन निर्माण, ऊन बनाई, भवन निर्माण, काँच उद्योग, स्लेट/खदान उद्योग आदि।

परंतु सामाजिक समस्याओं के संबंध में बने अन्य कानूनों की तरह ही इस कानून की भी प्रत्येक स्तर पर उपेक्षा की जा रही है। श्रम मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर खतरनाक व्यवसायों एवं अन्य व्यवसायों में मजदूरी करने वालों बच्चों का विवरण दिया गया है।इन व्यवसायों में कार्यरत बच्चों की कई भयानक खतरों से जूझना पड़ता है।

बाल-श्रम की रोकथाम का प्रावधान हमारे संविधान में ही निहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था है कि 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान और जोखिम वाले रोजगार के कार्य पर नहीं रखा जायेगा । अनुच्छेद 39 (ई) में भी कहा गया है कि बच्चों का शोषण नहीं किया जायेगा और उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा, जो उनकी आयु के अनुरूप न हो। इसी संदर्भ में सरकारी स्तर पर किये गए प्रयास निम्नलिखित है

1. बाल-श्रम बंधन अधिनियम (1993)
2. बाल-नियोजन अधिनियम (1938)
3. कारखाना अधिनियम (1948)
4. खान अधिनियम (1952)
5. मोटर-परिवहर अधिनियम (1958)
6. एप्रेन्टिसशिप अधिनियम (1961)
7. बीड़ी तथा सिगार एक्ट (1966)
8. बाल श्रमिक विरोधी कानून (1973)
9. बंधित श्रम पद्धति अधिनियम (1975) बनाये गए।

1979 में बाल-श्रम समिति की रिपोर्ट आई। 1981 में केन्द्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। दिसम्बर 1986 में राष्ट्रीय बाल-श्रम नीति पारित की गई। 1994 में पुनः बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया और 1994 में ही केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में इस मंत्रालयों के संगठन से निर्मित राष्ट्रीय अधिकरण की घोषणा की कि बीसवीं शताब्दी के अन्त तक बाल-श्रम पर नियंत्रण कर लिया जायेगा। जिन राज्यों में बाल-श्रम समस्या अधिक व्याप्त हैं, वहां इस प्रकार के बच्चों के पुनर्वास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

1994 में घोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक,

बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा गुजरात में 76 बाल श्रमिक परियोजनाएँ मंजूर की गई थी। बाल मजदूरों की अधिक संख्या वाले 123 जिलें को खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों का पता लगाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण कराने के लिए 2.46 करोड़ दिये गए। 1995-96 में बाल-श्रम मजदूरी की समाप्ति के पक्ष में जागरूकता अभियान चलाने पर 6.65 करोड रूपये व्यय किये गये। इसके लिए 133 जिलों को 5-5 लाख रूपये दिये गए।

आठवीं योजना के प्रथम चार वर्ष में बाल श्रमिकों से संबंधित कार्यक्रमों पर 39,87 करोड़ रूपये व्यय किये गए। 1996-97 में इस हेतु 56 करोड़ रूपये व्यय किये गए तथा राज्यों को निर्देश दिया गया कि पहली प्राथमिकता बच्चों को खतरनाक उद्योगों से मुक्ति दिलाना तथा उनका पुनर्वास करना था।

दूसरी ओर इस समस्या के संदर्भ में स्वैच्छिक संगठन भी पीछे नहीं हैं। लगभग 300 गैर-सरकारी संगठनों ने 14 नवम्बर, 1992 को मुम्बई में एक संयुक्त मंच 'बाल श्रम निरोधी अभियान' शुरू करके इस दिशा में ठोस पहल की, इसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों का समर्थन भी प्राप्त है। दिसम्बर 1996 के प्रथम पखवाड़े में जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जोखिमभरे उद्योगों, जिनमें आतिशबाजी, माचिस, चूड़ी और कांच का सामान बनाने वाले उद्यम शामिल हैं, बाल-श्रम को प्रतिबंधित कर दिया । इन कार्यों से निकाले गये बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हेतु एक विशेष निधि बनाने का निर्देश दिया। निधि में कानून का उल्लंघन करने वाले को जुर्माने के 20,000 रूपये के अतिरिक्त 25,000 रूपये जमा करने पड़ेंगे। कुल 45,000 रूपये निधि में देने होंगे। राज्य को पढ़ाई व्यवस्था के अतिरिक्त परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी होगी। यदि नौकरी की व्यवस्था न हो पाये तो सरकार द्वारा प्रति बालक 5,000 रूपये निधि में जमा करने होंगे। राज्य सरकार को छः माह के भीतर इन निर्देशों पर अमलकारी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। दिसम्बर के द्वितीय पखवाड़े में दक्षिण एशियाई बाल दासता विरोधी संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 250 संगठनों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यनीसेफ, पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें फैसला दिया गया कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की मांग को लेकर देश में स्वयंसेवी संगठनों ने जनवरी, 1997 से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का निर्णय किया।

उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निगरानी हेतु एक समिति बनाई

जायेगी । यह समिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी।

भारत में बाल श्रमिक

भारत में 14 वर्ष तक की आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिकों को श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में यह धारणा है कि इस अवस्था तक बलकों को उपयोगी, उत्तरदायी एवं योग्य नागरिकों की शिक्षा दी जानी चाहिए, किन्तु अल्पआयु में बालकों को खेलकूद व शिक्षा के स्थान पर जोखिमपूर्ण कार्य करता पाया गया है, जो किसी भी सभ्य समाज या राष्ट्र के लिए अशोभनीय है। अतः आवश्यक हो जाता है कि बाल श्रमिक की उत्पत्ति संबंधी कारण, उत्थान कार्यक्रम मूल्यांकन कर समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है।'

यह अत्यंत दुःखद और लज्जापूर्ण तथ्य है कि विश्व के कुल बाल श्रमिकों को एक बड़ा भाग भारत में है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 10 करोड़ बाल श्रमिक हैं, किंतु अधिकृत रूप से इनकी संख्या 2 करोड़ बताई जाती है। कुल बाल श्रमकों का 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर तथा 30 से 35 प्रतिशत तक कल-कारखानों में कार्यरत हैं। शेष भाग पत्थर खदानों, लघु व कुटीर उद्योगों, चाय दुकानों और घरेलू कार्यों में लगे गुलामों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इसी तरह सितम्बर, 1994 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0 एल0 ओ0) के अनुसार विश्व के कुल बाल श्रमिकों में से 50 प्रतिशत बाल श्रमिक दक्षिण एशिया में हैं। इसी तरह कालीन उद्योग (जम्मू काश्मीर) में लगभग एक लाख बाल श्रमिक, आतिशबाजी व माचिस उद्योग (शिवाकाशी, तमिलनाडु) में एक लाख, काँच उद्योग (फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश) में एक लाख, चमड़ा उद्योग (आगरा, कानपुर) में 30 हजार तथा चिकन व एम्ब्रायडरी (लखनऊ) में 50 हजार बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अतः देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे संकटमय उद्योगों में नियोजित हैं। ये प्रमुखतः गलीचा निर्माण, जेक स्टोन पॉलिशिंग, पीतल एवं धातु आधारित सामग्री, ग्लास व ग्लासवेयर, जूता निर्माण, सिल्क, फायर वर्क्स आदि व्यवसायों में कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त ताले, लैदर पौट्री, ग्रेनाइट, माइका, स्लेट माइनिंग, ऑटो पार्ट्स, कैथ्यू प्रोसेसिंग, आयरन एण्ड स्टील प्रोडक्ट्स, सूटकेस व ट्रंक , खेल सामग्री, सिले-सिलाए वस्त्र व सी फूड प्रोसेसिंग आदि उद्योग में भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं।

एक अनुसंधान समूह के अनुसार 1997 में होटलों, हथकरघा उद्योग और फिरोजाबाद के कांच उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या क्रमशः 20 लाख, 40 लाख और 60 हजार की है। इसी तरह औसत आय क्रमशः 4 से 10 वर्ष, 5 से 13 वर्ष तथा 5 से 14 वर्ष थी।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश का प्रत्येक 7 वाँ बच्चा बाल श्रमिक के रूप में जन्म लेता है। एक अत्यंत दुखद तथ्य यह भी है कि विश्व में सबसे अधिक 'अनाथ बच्चे' भारत में है। प्रतिवर्ष 11.5 लाख अमान्य बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से अधिकांश 5 व 6 वर्ष के पश्चात् बाल श्रमिक बना दिये जाते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह तथ्य सामने आया है कि बाल श्रमिक उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत भारत भी है। जहाँ विश्व के सर्वाधिक बाल श्रमिक पैदा होते हैं, जो जोखिमपूर्ण, शोषित, अमानवीय जीवन व्यतीत करते हैं । अतः आवश्यक हो जाता है कि सर्वप्रथम उन कारणों की खोज करें, जिसके परिणामस्वरूप बालक को श्रम करने हेतु बाध्य होना पड़ता है।

बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या के उत्तरदायी कारण :

भारत में द्रुतगति से बढ़ती बाल श्रमिक समस्या के लिए निम्न कारण जिम्मेदार हैं

1. बाल श्रमिकों को बढ़ती संख्या का एक मूल कारण देश में व्याप्त गरीबी है, जिसके कारण निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के माता-पिता स्वयं के आय स्रोत द्वारा परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते व मजबूर होकर अपने बालक को बाल्य अवस्था में ही जीविकोपार्जन हेतु उद्योग-धंधों, होटलों आदि में नियोजित कर देते हैं।
2. दूसरा मूल कारण बेकारी व बेरोजगारी है। देश में व्याप्त बेकारी व बेरोजगारी जैसी समस्याओं से उत्प्रेरित होकर भी गरीब माता-पिता अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही स्कूली शिक्षा के स्थान पर अनुभवमूलक शिक्षा देना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त समझते हैं, जो काम के अनुभव के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी पहुंचाती है।
3. सीमित साधन एवं असीमित परिवार, असीमित आवश्कयता के कारण बालक भाववेश में आकर अपने परिवार को त्याग कर अज्ञानतावश जोखिमयुक्त व्यवसायों एवं संकटमय उद्योगों में कार्य करने लगते हैं।
4. परम्परागत या वंशानुगत व्यवसायों में बाल्यावस्था में ही कार्य कर उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग देते हैं।
5. फिल्मों से प्रभावित होकर, यथार्थ से अनभिज्ञता, अज्ञानता आदि कारणों से भी बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
6. 14 वर्ष तक के आयु के बालकों का साक्षरता प्रतिशत भी कम है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा से अल्प आयु में ही वंचित होकर माता-पिता को आर्थिक सहायता करनी पड़ती है।

7. अनाथ आश्रमों की संख्या सीमित होने से अनाथ बच्चों के लिए श्रम ही एकमात्र सहारा रह जाता है।
8. शहरी क्षेत्रों में बालकों को अवकाश के दिनों में छुटपुट रोजगार मिल जाता है, जिससे वे अपना जेब खर्च निकाल लेते हैं, किंतु धीरे-धीरे वे परिवारकी आय के स्थायी सदस्य बना दिये जाते हैं और उन्हें शहरी उद्योगों व लघु उद्योगों में कठिन से कठिन कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है।
9. अनुसंधान से एक अन्य बात यह भी समाने आयी है कि गरीबी की अपेक्षा उत्पादकों एवं नियोजकों के निहित स्वार्थ अधिक जिम्मेदार कारण है, क्योंकि वयस्क श्रम की तुलना में बाल-श्रम सरलता से एवं सस्ता प्राप्त हो जाता है।

अतः निश्चित ही उपरोक्त कारण बाल श्रमिक समस्या वृद्धि में सहायक हैं, किंतु जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्देशक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जो बाल श्रमिक की परिभाषा दी है उससे स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है।

" बाल श्रमिक वे किशोर नही है, जो दिन के कुछ घण्टे खेल और पढ़ाई से निकालकर जेब खर्च के लिए काम करते हैं । ये वे बच्चे भी नहीं है, जो पारिवारिक जमीन पर खेती में मदद करते हैं या घरेलू कार्यों में मदद करते हैं, बल्कि ये मासूम बच्चे हैं, जो वयस्कों की जिन्दगी बिताने को मजबूर है। 10 से 18 घण्टे काम करके कम पैसों पर अधिक श्रम बेचते हैं तथा बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित और कभी-कभी परिवार से अलग होकर रहते हैं।"

उपसंहार

अतः एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बाल श्रमिक समस्या के मूल में गरीबी की अपेक्षा फैक्ट्री, उद्योग, कंपनी, संस्थान व खदान के मालिकों का निहित स्वार्थ अधिक होता है। समस्या में वृद्धि के कारणों को जानने के पश्चात् यह भी आवश्यक है कि क्या सरकार ने बाल श्रमिक निवारण हेतु कोई कदम उठाया? तथा वह कहां तक उचित हैं ? अतः नीचे बाल मिक उत्पीडन रोकने हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों, नीतियों एवं परियोजनाओं की व्याख्या की जा रही है।

(अ) भारत सरकार ने बाल मजदूर (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 बनाया है, जिसके अन्तर्गत कारखानों एवं अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के रोजगार पर संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रतिबंध लगाना है। अगरत, 1988 में इसके अन्तर्गत 6 व्यवसाय व 14 प्रक्रम शामिल किये गए हैं।

(ब) सरकार ने बाल श्रमिक हेतु एक राष्ट्रीय नीति भी बनाई है, जिसके अन्तर्गत बच्चों को रोजगार से दूर करने के लिए जिन क्षेत्रों मे बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, वहां उनके कल्याण हेतु विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे- व्यावसायिक प्रशिक्षण, गैर-औपचारिक शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल आदि ।

(स) नौकरी करने वाले बालकों के कल्याण के लिये कार्यक्रम/परियोजनाएँ चलाने तथा उन्हें औपचारिक/गैर-औपचारिक शिक्षा/अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, आदि ।

संदर्भ सूची

1. वीरेश्वर प्रकाश : बाल श्रमिक लेख, समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, अप्रैल 1996, पृ0-12
2. गंगराडे, के0 डी0 तथा गाथिया जॉसेफ : 'महिला एवं बाल मजदूर', 1993, नई दिल्ली, पृ0-43-48
3. गाथिया जॉसेफ; 'बाल मजदूरों की व्यवस्था-गाथा-दोषी कौन ?', समाज कल्याण, अंक-4, नवम्बर, 1993, पृ0 6.
4. स्वामी अग्निवेश, 'भारत में बाल दासता', कुरूक्षेत्र, अंक-4-5, फरवरी/मार्च, 1997, पृ02
5. सुनील सी0 राय- 'बाल मजदूरी की समाप्ति', योजना, वर्ष 39, अंक 13, 1996, पृ0 50 से 52|
6. डॉ० रोकश अग्रवाल - "बाल मजदूरी प्रथा का उन्मूलन क्यों और कैसे" योजना, वर्ष 39, अंक 11, 1995 पृ0 5 से 71
7. डॉ० विजय सिंह राघव - "भारत में बाल-श्रम की समस्या : कारण और निर्धारण" प्रतियोगिता दर्पण वर्ष 19, अंक 1, 1996, पृ0 64 से 691
8. आरन, बेंजामिन (1957) : दि एम्प्लायमेंट रीलेशन एण्ड दि लॉ, लिटिल, ब्राउन एण्ड को० (कनाडा) लि0, यू.एस.ए. पृ0-48-51